

म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल (म.प्र.)

द्वितीय तल, तिलहन राघ मकान, १ अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन- 462011 दूरभाष नं. 0755-2570424, फ़ैक्स नं. 0755-2556619

क्र./एफ-27-1209/एड्स/उपार्जन/2017/272H

भोपाल, दिनांक 03.10.17

निविदा-प्रपत्र (पुनः आमंत्रण)

(कार्यालय के लिए दैनिक एवं मासिक आधार पर वाहन किराये पर लेने हेतु)

कार्यालयीन उपयोग हेतु	
आवेदन की कीमत रूपये 50/- (रूपये पचास मात्र)	कार्यालय की पदमुद्रा:

निविदा के उपयोग हेतु

अ.	फर्म का विवरण :-	
1-	फर्म का नाम	:
2-	फर्म का पूर्ण पता	:
		शहर..... जिला..... राज्य..... पिन.....
3-	फर्म का दूरभाष, मोबाईल नं. एवं ईमेल	:
		दूरभाष नं..... मो. नं..... मोबाईल नं.....
4-	फर्म का ईमेल आईडी	:
5-	फर्म का पंजीयन क्रमांक	:
6-	PAN No.	:
7-	GST No.	:
ब.	बैंक खाते की जानकारी	:
1-	खाताधारक का नाम	:
2-	बैंक का नाम	:
3-	शाखा का नाम	:
4-	आईएफएस कोड	:
5-	खाता क्र.	:

वचन-पत्र

मैं श्री..... पुत्र श्री..... पता.....

दूरभाष/मोबाइल नं..... वचन देता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तावित निविदा फीस पास होने पर आपके द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य न करने पर जमा धरोहर राशि/परफॉरमेंस सिक्युरिटी नियमानुसार जब्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

गवाह के हस्ताक्षर

.....

नाम व पूरा पता

.....

.....

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

.....

नाम व पूरा पता.....

.....

.....

निविदा की शर्तें एवं नियम

1. निविदा निम्नानुसार भरकर प्रस्तुत करे:-

- तकनीकी, एवं अन्य आवश्यक जानकारी:-

कृपया तकनीकी एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज पत्रक-1 एवं पत्रक-2 में अंकित करते हुए तथा दस्तावेज संलग्न करते हुए, एक पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर, लिफाफे के ऊपर "तकनीकी प्रस्ताव" अंकित करें।

- वित्तीय जानकारी:-

कृपया केवल दरें पत्रक-3 एवं पत्रक-4 में अंकित करते हुए, एक पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर, लिफाफे के ऊपर "वित्तीय प्रस्ताव" अंकित करें।

इसके पश्चात् उक्त दोनों पृथक-पृथक लिफाफों (तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव) को एक अन्य बड़े सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर लिफाफे के ऊपर "निविदा क्र., कार्य का नाम, एवं फर्म का नाम एवं पूर्ण पता दूरभाष सहित" अंकित करते हुए, प्रस्ताव इस कार्यालय के "परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल" (म.प्र.) 462011" के पते पर दिनांक 15.11.2017 को दोपहर 3 बजे तक कार्यालय में भेजे।

2. प्राप्त सील बंद प्रस्ताव को अंतिम तिथि 15/11/17 को ही दोपहर 3:30 बजे समस्त उपस्थितों के समक्ष खोला जावेगा। (सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव खोले जावेगे, तकनीकी रूप से योग्य पाए गए निविदकर्ताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेगे)
3. निविदा फार्म आवेदन शुल्क (रूपये पचास मात्र) नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के पक्ष में देय हो, के रूप में कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:30 बजे के बीच जमाकर, कार्यालय, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स भोपाल से प्राप्त किये जा सकेंगे।
4. यदि निविदाकर्ता इस समिति की वेबसाईट (www.mpsacsb.org) से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर उसका उपयोग करता है तो उसे निविदा प्रपत्र के मूल्य हेतु राशि रूपये 50/- (राशि रूपये पचास मात्र) का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि, जो कि परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल के नाम से जारी होगा, संलग्न करना होगा। शासकीय संस्थाओं/विभागों/उपक्रम/निकाय के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी।
5. इस कार्य एवं शर्तों के संबंध में अंतिम तिथि के एक दिवस पूर्व तक स्पष्टीकरण/परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है। अतः निविदाकर्ता की जिम्मेदारी है कि वे अंतिम दिवस तक समिति की वेब साईट www.mpsacsb.org अथवा समिति कार्यालय के सूचना पटल पर इस संबंध में जानकारी यदि कोई हो तो, उसके आधार पर ही निविदा में अपनी दरें प्रस्तुत करें।
6. निविदा में दरें देते समय आवश्यक टैक्स का भी पृथक से उल्लेख किया जाए।
7. निविदा में किसी भी प्रकार की शर्तें अथवा काटपीट या ओव्हर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। ओव्हर राईटिंग की स्थिति में उस स्थान पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए।
8. शब्दों एवं अंकों में लिखी हुयी दरों में अंतर होने पर शब्दों में लिखी हुयी दरों को मान्य किया जावेगा।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने के अधिकार परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के पास सुरक्षित रहेंगे।
10. परियोजना संचालक निविदा की किसी शर्त को शीथिल अथवा विलोपित कर सकेंगे।

11. आपको परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
12. कार्य हेतु दरें, संलग्न दर प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें। दर पत्रक में प्रस्तुत दरों के अलावा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. निविदा में अंकित शर्तों के अतिरिक्त दर प्रदायकर्ता द्वारा पृथक से अंकित की गई किसी भी शर्त पर कोई भी विचार नहीं किया जावेगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायलयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा।

आवश्यक शर्तें—

(जिसके अभाव में आपके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।)

1. प्रत्येक निविदाकर्ता को राशि रुपये 17,000/- (रुपये सत्रह हजार मात्र) की धरोहर राशि जमा करना आवश्यक होगी। धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा की जा सकेगी, जो कि "परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल" के नाम से जारी होगा। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
2. संबंधित के पास टेक्सी हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने बाबत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी/अनुज्ञापन प्राधिकारी (आर.टी.ए.) द्वारा अधिकृत होना आवश्यक है, कृपया वैध प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

अथवा

यदि निविदाकर्ता के पास उपरोक्त वैध प्रमाण पत्र नहीं है तो, टेक्सी हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने बाबत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी/अनुज्ञापन प्राधिकारी (आर.टी.ए.) द्वारा अधिकृत होने के संबंध में पूर्व में जारी किए गए प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा वर्तमान में उक्त प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु आर.टी.ए. कार्यालय में आवेदन देने के संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. निविदाकर्ता के पास न्यूनतम 05 वाहन होना चाहिए, जिसकी जानकारी (वाहन का क्रमांक, वाहन का प्रकार, वाहन के पंजीयन की छायाप्रति, बीमा की छायाप्रति एवं वाहन के टैक्सी कोटे में स्वीकृत होने की अनुमति की छायाप्रति देवे तथा आवश्यक प्रमाण संलग्न करें।
4. फर्म का कार्यालय भोपाल में अथवा उसकी शाखा भोपाल में होना अनिवार्य है। इस संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
5. आपके फर्म द्वारा विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान किसी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय में किसी भी अवधि के लिए वाहन मासिक रूप से उपलब्ध कराए हो। कृपया प्राप्त आदेशों की स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
6. निविदा के साथ संबंधित फर्म/प्रोपराईटर का पेन नंबर तथा जीएसटी नंबर संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
7. निविदाकर्ता को अपने प्रस्ताव के साथ फर्म के लेटरहेड पर यह भी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा कि—"मेरी फर्म को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय कार्यालय अथवा संस्था में ब्लेकलिस्टेड नहीं किया गया है।" यदि किसी कार्यालय अथवा संस्था में ब्लेकलिस्टेड किया गया हो तो उसकी जानकारी दे।
8. कार्यालय द्वारा जारी संपूर्ण निविदाप्रपत्र एवं सहपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के सहमति के रूप में हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

अन्य शर्तें:—

1. यदि फर्म ने पूर्व में समिति में कार्य किया है एवं उसका कार्य संतोषजनक नहीं रहा है तो न्यूनतम दर होने पर भी फर्म को नॉन रिसपांसिव किया जा सकता है।

2. उक्त हेतु आदेश जारी होने के पूर्व यदि कोई निविदाकर्ता अपनी निविदा वापिस लेता है अथवा सफल निविदाकर्ता निर्धारित समयावधि में परफॉरमेंस सिक्युरिटी इस कार्यालय में जमा नहीं करता है तो उसकी धरोहर राशि इस समिति द्वारा जब्त की जा सकती है।
3. यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समय में वाहन उपलब्ध नहीं करता है अथवा निर्धारित अनुसार कार्य संपादित नहीं करता है एवं उसका आदेश कार्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में धरोहर राशि/परफॉरमेंस सिक्युरिटी जब्त कर ली जावेगी।
4. निर्धारित परफॉरमेंस सिक्युरिटी इस कार्यालय में जमा करने के उपरांत संबंधित की धरोहर राशि वापिस की जावेगी।
5. सफल निविदाकर्ता की परफॉरमेंस सिक्युरिटी कार्यावधि समाप्ति के उपरांत वापिस की जावेगी।
6. यदि प्राप्त दरों में भिन्न-भिन्न दर प्रदायकर्ताओं की दरें एक वाहन के लिये भिन्न रूप से न्यूनतम प्राप्त होती हैं तो—

अ) दैनिक आधार पर वाहन हेतु—08 घंटे 80 कि.मी. के लिये प्राप्त न्यूनतम दर वाले प्रदायकर्ता को अतिरिक्त कि.मी. एवं अतिरिक्त घण्टे तथा रात्रि विश्राम के लिए अन्य दर प्रदायकर्ता/प्रदायकर्ताओं द्वारा दी गई न्यूनतम दरों पर कार्य करना होगा।

ब) मासिक के लिये— प्राप्त न्यूनतम दर वाले रिसपांसिव प्रदायकर्ता को अन्य दर प्रदायकर्ताओं द्वारा उस वाहन के लिए प्रति किलोमीटर, प्रति घण्टा, रात्रि विश्राम हेतु प्राप्त न्यूनतम दरों पर आपको कार्य करना होगा।

7. निविदाकर्ता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

परफॉरमेंस सिक्युरिटी

1. सफल निविदाकर्ता को उसका प्रस्ताव मान्य होने पर 15 दिवस के भीतर कार्यालय में परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल के पक्ष में राशि रुपये 40,000/- (राशि रुपये चालीस हजार मात्र) की बैंक गारंटी (जो कि आदेश जारी होने के दिनांक से न्यूनतम 2 वर्षों के लिए वैध होगी) अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल के नाम से परफॉरमेंस सिक्युरिटी के रूप में जमा करना होगा। निर्धारित समय में यह जमा न करने पर परियोजना संचालक के निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी, उनके प्रत्येक निर्णय को आपको मान्य करना होगा।

भुगतान:

दैनिक आधार पर वाहन हेतु—

1. दैनिक रूप से लगाये गये वाहन का भुगतान देयक प्रस्तुत करने पर किया जावेगा। दैनिक रूप से लगाये गये वाहन की लॉग बुक/ड्यूटी स्लिप आपको संधारित करना होगी, जिस पर वाहन क्रमांक, उसका मेक एवं प्रकार, उपयोग प्रारंभ करने का समय एवं किस अवधि तक के लिये उपयोग किया है, इसका पूर्ण विवरण तिथि सहित अंकित होना चाहिये, वाहन की ओपनिंग कि.मी. एवं क्लोजिंग कि.मी. के साथ-साथ उपयोग कि.मी. आदि की स्थिति सहित दैनिक चालन की पूर्ण स्थिति दर्शित रहेगी एवं उपयोगकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम भी रहेंगे। इस लॉग बुक/ड्यूटी स्लिप को मूल रूप से देयक के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना होगा। लॉग बुक/ड्यूटी स्लिप में किसी भी प्रकार की काट-छाट होने पर उसे उपयोगकर्ता अधिकारी से सत्यापित भी कराना होगा।
2. यदि लॉग बुक अथवा ड्यूटी स्लिप में कटिंग की गई है एवं वह सत्यापित नहीं है तो इस तिथि को उपयोग की पुष्टि होने पर न्यूनतम नियत राशि का ही भुगतान किया जावेगा।

3. राशि की गणना प्रत्येक अवसर के लिए पृथक-पृथक की जावेगी।
4. निविदाकर्ता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

मासिक आधार पर वाहन हेतु:-

1. मासिक रूप से लगाये गये वाहन का भुगतान माह की अवधि पूर्ण होने पर देयक प्रस्तुत करने पर किया जावेगा। मासिक रूप से लगाये गये वाहन की लॉग बुक आपको संधारित करना होगी, जिस पर दैनिक चालन की पूर्ण स्थिति दर्शित रहेगी एवं उपयोगकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर भी रहेंगे। इस लॉग बुक को मूल रूप से देयक के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना होगा। लॉग बुक में किसी भी प्रकार की काट-छांट होने पर उसे उपयोगकर्ता अधिकारी से सत्यापित भी कराना होगा।
2. यदि मासिक रूप से लगाये गये वाहन को माह के बीच में बन्द किया जाता है तो अनुपातिक रूप से उपयोग किये गये दिवसों के लिये इस हेतु नियत राशि के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
3. यदि लॉग बुक अथवा ड्यूटी स्लिप में कटिंग की गई है एवं वह सत्यापित नहीं है तो यह दूरी उपयोग की दूरी में सम्मिलित नहीं की जावेगी।

पेनाल्टी:-

1. यदि आपके द्वारा आदेशित समय पर आदेश अनुसार नियत वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया तो प्रति दिवस हेतु रुपये 500/- की राशि आपके देयक में से काट ली जावेगी अथवा समायोजित की जावेगी।

कार्य से संबंधित अन्य शर्तें:-

1. मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति कार्यालय को दैनिक एवं मासिक आधार पर किराये हेतु वाहन/वाहनों की आवश्यकता पडती है, इस हेतु दरें आमंत्रित की जा रही हैं।
2. कार्यालय की आवश्यकता पर अन्य वाहनों को किराये पर लगाया जाता है तो इन वाहन को किराये पर लगाने के पूर्व उस वाहन का क्रमांक, वाहन का प्रकार, वाहन के पंजीयन की छायाप्रति, बीमा की छायाप्रति एवं वाहन के टैक्सी कोटे में स्वीकृत होने की अनुमति की छायाप्रति इस कार्यालय में जमा करना होगा।
3. आवेदक के द्वारा दी गई दरें निविदा खोलने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये मान्य रहेंगी, जिसे दोनो पक्षों की सहमति पर बिना दर वृद्धि किए हुए समान शर्तों पर अवधि आगे बढ़ाए जाने पर विचार किया जा सकता है।
4. आपके द्वारा दर्शित अतिरिक्त किसी भी शर्तों पर जिससे दर्शित मूल्य प्रभावित हों, विचार नहीं किया जावेगा।
5. जिन वाहन/वाहनों के लिए, जिस प्रकार के किराये हेतु दरें आमंत्रित की जा रही हैं, उनका पूर्ण विवरण संलग्न है। इसमें से कोई भी वाहन किसी भी मेक के/प्रकार के किराये पर बुलाये जा सकते हैं।
6. आपको वर्ष 2015 अथवा उसके बाद का निर्मित वाहन किराये पर उपलब्ध कराना होगा।
7. आपको वाहन किराये के संबंध में परियोजना संचालक/प्रशासकीय अधिकारी/जिस अधिकारी को वाहन आवंटित की गयी है, उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का भी पालन करना होगा।

8. दैनिक एवं मासिक वाहन किराये पर लेने के संबंध में, वाहन में लगने वाला ईंधन, मन्टीनेन्स, विविध कर (पथकर एवं पार्किंग शुल्क को छोड़कर) एवं अन्य समस्त प्रकार के करों, वाहन चालक को भुगतान किये जाने वाली राशि आदि का पृथक से कोई भी भुगतान समिति द्वारा नहीं किया जावेगा। यह समस्त दर्शित दरों में सम्मिलित माना जावेगा।
9. दैनिक आधार पर वाहन किराये पर लेने की स्थिति में भोपाल, सिहोर, विदिशा, रायसेन एवं होशंगाबाद जिलो के लिए की गई यात्राओं को स्थानीय यात्रा माना जावेगा, इनके अतिरिक्त जिलों की यात्रा करने की स्थिति में प्रतिदिवस न्यूनतम 200 किमी की दूरी का भुगतान मान्य किया जावेगा।
10. वाहन में आपके द्वारा लगाये गये वाहन चालकों का व्यवहार मृदुल एवं सौम्य होना चाहिये। वाहन चालकों की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी। वाहन को रात्रि में आपको उसी स्थान पर पार्क करना होगा जहां कि समिति के संबंधित अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जावेगा।
11. आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन के/उससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में उसका पूर्ण दायित्व आपका ही होगा। वाहन का जीवित बीमा भी होना अनिवार्य होगा।
12. यदि आपके द्वारा दिया गया वाहन कभी खराब अथवा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एवं उसकी खराबी में यदि एक घण्टे से अधिक का समय लगना संभावित है तो तत्काल आपको दूसरा वाहन इस वाहन के स्थान पर उपलब्ध कराना होगा।
13. किराये पर वाहन चलाने के लिये शासन द्वारा नियत समस्त अनुमति/अनुमतियां आपको ही स्वयं के व्यय पर प्राप्त करना होगी।
14. आपके द्वारा वाहन में लगाये गये वाहन चालकों के पास नियत मानक स्तर का लाईसेन्स होना अनिवार्य है, इसकी पुष्टि आप अपने स्तर से करने के उपरांत ही वाहन चालकों को वाहन पर लगावें।
15. समिति द्वारा आवश्यक किसी भी प्रपत्र के मूल दस्तावेज आपसे बुलाये जा सकते हैं।
16. मासिक रूप से किराये पर लगाये गये वाहन हेतु दर पत्रक में दर्शित दरों में वाहन प्रतिमाह चालन के लिए न्यूनतम 1000 कि.मी. प्रतिमाह का चालन होगा। यदि किसी माह वाहन 1000 कि.मी. से कम चलता है तो माह हेतु मान्य न्यूनतम राशि का भुगतान समिति द्वारा किया जावेगा। इससे अधिक चालन होने की स्थिति में ही आपको अतिरिक्त किलोमीटर चालन के लिए राशि का भुगतान किया जावेगा। इस अवधि में वाहन भोपाल के बाहर भी भेजा जा सकता है, जिसके लिए कोई भी पृथक से चार्ज देय नहीं रहेगा।
17. मासिक आधार पर वाहन किराये पर लेने हेतु, यदि भोपाल से बाहर वाहन भेजा जाता है एवं उसे उस स्थान पर रात्रि विश्राम करना पड़ता है तो रुपये 150/- प्रति रात्रि के मान से पृथक भुगतान वाहन चालक के व्यय हेतु पृथक से दिया जावेगा, पथकर भी पृथक से देय होगा, जिसके भुगतान की प्रतिपूर्ति देयक के साथ मांग पर की जावेगी।
18. मासिक आधार पर वाहन किराये पर लेने की स्थिति में आपको समिति द्वारा आदेशित स्थान पर वाहन की पार्किंग करना होगा। कार्य की अवधि प्रतिदिन 12 घण्टे की न्यूनतम रहेगी, जो कि अधिक भी हो सकती है। अतिरिक्त घंटों के लिये कोई भी अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

19. मासिक किराये पर लगाये गए वाहन म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल द्वारा 15 दिवस की पूर्व सूचना पर कभी भी बंद किया जा सकता है।
20. निविदाकर्ता द्वारा यदि वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसकी धरोहर राशि/परफॉरमेंस सिक्युरिटी जब्त कर ली जावेगी साथ ही समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष एवं आगामी तीन वित्तीय वर्षों में किसी भी प्रकार की निविदा में भाग लेने से उसे वंचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परियोजना संचालक को यह अधिकार होगा कि वह शेष अन्य निविदाकर्ताओं में से किसी भी निविदाकर्ता से प्रथम न्यूनतम दरों पर कार्य करने की सहमति प्राप्त करते हुए कार्य करा सके।
21. वाहन चालक के पास सेलफोन होना चाहिए। प्रत्येक वाहन में प्राथमिक चिकित्सा बाक्स एवं अग्निशमन यंत्र होना चाहिए।
22. संबंधित फर्म द्वारा किराये पर उपलब्ध कराए गए वाहन की समस्त प्रकार की अनुमतियां लेने का दायित्व संबंधित फर्म का ही होगा। कृपया वाहन उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध कराए गए वाहन के लिए समस्त नियत स्वीकृतियां आपने प्राप्त कर ली हो।
23. निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की कोई भी वृद्धि मान्य नहीं होगी। आपके द्वारा दर्शित अतिरिक्त किसी भी शर्तों पर जिससे दर्शित मूल्य प्रभावित हों, विचार नहीं किया जावेगा।
(परियोजना संचालक द्वारा अनुमोदित)



उपार्जन अधिकारी
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल

निम्न दस्तावेज आपको अपने तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र.	आवश्यक प्रमाण	विवरण	संलग्नक क्रमांक
1.	यदि आपने वेबसाईट के माध्यम से डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र का उपयोग किया है तो निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रूपये 50/- (रूपये पचास मात्र) के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक का विवरण		
2	धरोहर राशि रूपये 17,000/- (रूपये सत्रह हजार मात्र) का विवरण	राशि रूपये ड्राफ्ट क्रमांक बैंक का नाम एवं तिथि	
3	इस कार्य हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी/अनुज्ञापन प्राधिकारी (आर.टी.ए.) से अनुमति अथवा	अनुमति जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम क्रमांक जारी होने की तिथि वैधता समाप्त होने की तिथि	
	यदि निविदाकर्ता के पास उपरोक्त वैध प्रमाण पत्र नहीं है तो, टेक्सी हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने बाबत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी/ अनुज्ञापन प्राधिकारी (आर.टी.ए.) द्वारा अधिकृत होने के संबंध में पूर्व में जारी किए गए प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा वर्तमान में उक्त प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु आर.टी.ए. कार्यालय में आवेदन देने के संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।	अनुमति जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम क्रमांक जारी होने की तिथि वैधता समाप्त होने की तिथि शपथ पत्र का विवरण	
4	निविदाकर्ता के पास न्यूनतम 05 वाहन होना चाहिए, जिसकी जानकारी (वाहन का क्रमांक, वाहन का प्रकार, वाहन के पंजीयन की छायाप्रति, बीमा की छायाप्रति एवं वाहन के टैक्सी कोटे में स्वीकृत होने की अनुमति की छायाप्रति देवे तथा आवश्यक प्रमाण संलग्न करें। (वाहनों की आवश्यक जानकारी पत्रक-2 में अंकित करें)		
5	आपका भोपाल में स्थित कार्यालय/शाखा का नाम, मालिक का नाम एवं पूर्ण पता दूरभाष सहित		
6	आपके फर्म द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान किसी शासकीय/अशासकीय /अर्द्धशासकीय कार्यालय में किसी भी अवधि के लिए वाहन दैनिक/मासिक रूप से उपलब्ध कराए हो तो प्राप्त आदेशों की स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करें।	प्राप्त आदेशों का विवरण	
7	जीएसटी नं.	विवरण	
8	पैन नं.		

निरंतर.....

क्र.	आवश्यक प्रमाण	विवरण	संलग्नक क्रमांक
9	निविदाकर्ता को अपने प्रस्ताव के साथ फर्म के लेटरहेड पर यह भी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा कि- "मेरी फर्म को किसी भी शासकीय/अद्वशासकीय/अशासकीय कार्यालय अथवा संस्था में ब्लेकलिस्टेड नहीं किया गया है।"	प्रमाण पत्र संलग्न करें	
10	यदि आपकी फर्म को किसी कार्यालय अथवा संस्था में ब्लेकलिस्टेड किया गया हो तो उसका विवरण		
11	कार्यालय द्वारा जारी संपूर्ण निविदाप्रपत्र एवं सहपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के सहमति के रूप में हस्ताक्षर होना अनिवार्य है		

फर्म का नाम.....

फर्म के स्वामी/अधिकृत के हस्ताक्षर.....

नाम.....

दिनांक.....

पता.....

निविदाकर्ता के पास न्यूनतम 05 वाहन की निम्नानुसार जानकारी संलग्न करें।

क्र.	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	वाहन का पंजीयन क्र.	वाहन का बीमा क्र.	वाहन के टैक्सी कोटे में स्वीकृति का विवरण	संलग्नक क्र.
1						
2						
3						
4						
5						

फर्म का नाम.....

फर्म के स्वामी/अधिकृत के हस्ताक्षर.....

नाम.....

दिनांक.....

पता.....

(दैनिक आधार पर वाहन किराये पर लेने हेतु)

पुनः आमंत्रण
दर पत्रक

क्र.	वाहन का मॉक	राशि रुपये में (समस्त कर व्यय आदि सहित)	उपयोग अवधि 08 घण्टे इस अवधि में अधिकतम चालन 80 कि.मी. हेतु दरें	08 घण्टे से अधिक की अवधि होने पर प्रति अतिरिक्त घण्टे हेतु दरें	80 कि.मी. से अधिक चालन होने की स्थिति में प्रति अतिरिक्त कि.मी. हेतु दरें प्रति कि.मी.	मुख्यालय से बाहर रात्रि विश्राम होने की स्थिति में प्रति रात्रि विश्राम चार्ज
			दरें (रुपयें में)			
1	इंडिका एसी	अकों में शब्दों में				
2	इंडिगो एसी	अकों में शब्दों में				
3	टवेरा एसी	अकों में शब्दों में				
4	इनोवा एसी	अकों में शब्दों में				
जीएसटी का प्रतिशत (उक्त दरों से पृथक रहेगा)						

उक्त दरों में पथकर एवं पार्किंग शुल्क को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार के कर, सर्विस टैक्स एवं समस्त व्यय सम्मिलित हैं।

मेरे द्वारा आपके कार्यालय के पत्र क्र. एफ 27-1209/उपार्जन/एड्स/2017/ दिनांक में उल्लेखित नियम एवं शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ ली गई है, मैं उक्त दरों पर इन नियम एवं शर्तों पर सामग्री प्रदाय करने के लिए सहमत हूँ।

फर्म का नाम.....
 फर्म के स्वामी/अधिकृत के हस्ताक्षर.....
 नाम.....
 दिनांक.....
 पता.....

 फोन नं./मो.नं.....

(मासिक आधार पर वाहन किराये पर लेने हेतु)

पुनः- आमंत्रण

दर पत्रक

निर्धारित शर्तों के अधीन मासिक आधार पर किराये पर वाहन लेने के संबंध में न्यूनतम 1000 किमी प्रतिमाह चालान हेतु।

क्र.	वाहन का मेक/प्रकार	मासिक किराया न्यूनतम 1000 किमी प्रतिमाह चालान दर, समस्त व्यय आदि सहित (रूपये में)	
		अंकों में	शब्दों में
1.	इडिका एसी		
2.	इडिगो एसी (सीएस/मांजा)		
3.	बोलेरो एसी		
4.	स्वीफ्ट डिजायर		
5.	इनोवा एसी		
6.	स्कार्पियो एसी		
7.	मारुति (CIAZ)		
निर्धारित सीमा 1000 कि.मी. प्रतिमाह चालान /समायोजन सीमा से अधिक चलने की स्थिति में प्रति किलोमीटर दर			
1.	इडिका एसी		
2.	इडिगो एसी (सीएस/मांजा)		
3.	बोलेरो एसी		
4.	स्वीफ्ट डिजायर		
5.	इनोवा एसी		
6.	स्कार्पियो एसी		
7.	मारुति (CIAZ)		
जीएसटी का प्रतिशत (उक्त दरों से पृथक रहेगा)			

उक्त दरों में पथकर एवं पार्किंग शुल्क को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार के कर एवं समस्त व्यय वाहन चालक आदि को भुगतान की जाने वाली राशि आदि सम्मिलित हैं।

मेरे द्वारा आपके कार्यालय के पत्र क्र. एफ 27-1209/उपार्जन/एड्स/2017/ दिनांक में उल्लेखित नियम एवं शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ ली गई हैं, मैं उक्त दरों पर इन नियम एवं शर्तों पर सामग्री प्रदाय करने के लिए सहमत हूँ।

फर्म का नाम.....

फर्म के स्वामी/अधिकृत के हस्ताक्षर.....

नाम.....

दिनांक.....

पता.....

.....

.....

फोन नं./मो.नं.....